बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :–1/न्याय–1–105/2016–774

प्रेषक,

अंशुली आर्या (भा0प्र0से0),
प्रधान सचिव ।

E-mail/
FAX
निबंधित

सेवा में,

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव,
सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक– 14.9.16

विषय–माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन एवं न्यायादेश के विरूद्ध समय–सीमा के अन्दर अपील/रिव्यू दाखिल करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग से संबंधित किसी भी वाद में माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील समय–सीमा के भीतर दायर किया जाना आवश्यक है। कई मामलों में ससमय अपील दायर नहीं होने पर समय–सीमा की क्षान्ति न्यायालय द्वारा नहीं करने पर विभाग के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, जिससे सरकार को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है।

अतः किसी भी वाद में पारित आदेश के विरूद्ध अगर अपील का मामला बनता हो तो माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में अपील समय–सीमा के भीतर दायर करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन अविलम्ब करना सुनिश्चित किया जाय।

अपील दायर करने का प्रस्ताव विलम्ब से उपस्थापित करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव भी उपस्थापित किया जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

Sd/-
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1/न्याय–1–105/2016– 774 पटना, दिनांक– 14.9.16

प्रतिलिपि–श्री ललित किशोर, प्रधान अपर महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–6534, दिनांक–01.09.2016 के आलोक में/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sd/-
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

New note/letter/